



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169533

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-

7664/2026

राजकुमारी

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रिंस पाठक, शिवम उपाध्याय, सुहैल भारद्वाज

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- प्रस्तुत आवेदन आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 303 वर्ष 2026, धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर में पंजीकृत प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना दर्शाई गई प्रतिबंधित वस्तु की मात्रा 28.68 ग्राम हेरोइन है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम बताई गई है। आवेदिका का नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सामने आया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त इस प्रकरण में कोई अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित वस्तु की उक्त बरामदगी के समय स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का वास्तविक एवं अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है, अतः सह-अभियुक्त से की गई कथित बरामदगी की विधिक वैधता दूषित हो जाती है। अभियोजन के पीछे विद्यमान दुर्भावना के संबंध में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्कों के दौरान पहले ही अभिवचन किया जा चुका है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त अमित कुमार सोनकर @ एल.बी. को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7137 वर्ष 2026 में दिनांक 11.08.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। तीन प्रकरणों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या अनुपूरक शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 2 एवं 3 में की गई है। आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदिका विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेगी तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगी। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।

4- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदिका की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी नहीं है।

5- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियाँ सुनीं तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचने, जैसे कि देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

7- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार करने तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदिका ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनाया है।

9- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकृत किया जाता है:-

(i) उपरोक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदिका- **राजकुमारी** की गिरफ्तारी की दशा में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii) आवेदिका विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी;

(iii) आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो सके; तथा

(iv) आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

10- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वे आवेदिका को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”